



## निदेशालय

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड

निकट-नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला, विकासनगर रोड़, देहरादून

दूरभाष नं० 0135-2775813, 814 फ़ैक्स नं० 2775816 ई०मेल: dir.icds.ua@gmail.com



दिनांक 12 फरवरी, 2021

पत्र संख्या सी-2540 / बजट-5511-IV/2020-21,

आहरण वितरण अधिकारी, राज्य महिला आयोग, देहरादून।

**विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में " राज्य महिला आयोग" के संचालनार्थ हेतु अतिरिक्त धनावंटन।**

शासनादेश संख्या 36/XVII(4)/2021-2(06)/2020 दिनांक 22-01-2021 के द्वारा अनुदान संख्या-15 में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति रू० 4310000/- (रू० तैतालीस लाख दस हजार पाँच सौ ) मात्र के सापेक्ष वर्तमान आवंटन रू० 4310000/- (रू० तैतालीस लाख दस हजार पाँच सौ ) मात्र की धनराशि व्यय करने हेतु आपके निर्वतन पर संलग्न विवरण के अनुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखी जाती है:-

**शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्नवत् हैं :-**

1. योजनान्तर्गत मानक मद 04-यात्रा व्यय एवं मानक मद 09-चिकित्सा प्रतिपूर्ति मदों के अन्तर्गत कार्मिकों के देयकों का भुगतान किया जाय। मानक मद 04-यात्रा व्यय में कार्मिकों का यात्रा व्यय, स्थानान्तरण यात्रा व्यय एवं अवकाश यात्रा व्यय सम्मिलित है।
2. योजनान्तर्गत मानक मद 20-लेखन सामग्री एवं छपाई अन्तर्गत कार्यालय में उपयोगार्थ फार्मों की छपाई और अन्य लेखन सामग्री क्रय (कम्प्यूटर स्टेशनरी सहित), प्रिन्टर रिबन, कार्टेज आदि पर होने वाले व्यय का भुगतान किया जाये।
3. उक्त आवंटित धनराशि का व्यय संलग्नक के अनुसार विभिन्न मदों पर मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय उसी मद में व्यय किया जायेगा, जिसके लिए आवंटित की गयी है। नई मद हेतु कदापि व्यय नहीं किया जायेगा। प्रत्येक माह की 02 तारीख तक बी०एम०-08 नियमानुसार निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2017 तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
5. प्रत्येक माह की 02 तारीख तक मासिक व्यय विवरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. उक्त आवंटित धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनु०सं०-15 के लेखाशीर्षक 2235-02-103-10-00 के अन्तर्गत संलग्नक में निर्दिष्ट सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न:- यथोपरि।

(संजीव कुमार सिंह)  
वित्त नियंत्रक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, साईबर कोषागार, देहरादून।
- 3- गार्ड फाइल।

वित्त नियंत्रक

आवंटन पत्र संख्या -C-2540

अनुदान संख्या-015

आवंटन आई डी-H21020150323

आवंटन पत्र दिनांक-12-FEB-2021

लेखा शीर्षक

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02-Social Welfare

103-महिला कल्याण

10-राज्य महिला आयोग की स्थापना

00-राज्य महिला आयोग की स्थापना


Voted

2	2	3	5	0	2	1	0	3	1	0	0	0				
मानक मद का नाम													पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
04-यात्रा व्यय													0	600000	0	600000
07-मानदेय													1500000	1500000	0	3000000
09-चिकित्सा प्रतिपूर्ति													0	100000	0	100000
20-लेखन सामग्री एवं छपाई													0	400000	0	400000
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण													0	50000	0	50000
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय													0	600000	0	600000
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण													0	150000	0	150000
29-गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद													640000	160000	0	800000
30-आतिथ्य व्यय													0	150000	0	150000
40-मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र													0	100000	0	100000
42-अन्य विभागीय व्यय													0	500000	0	500000
योग													2140000	4310000	0	6450000

**Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.43,10,000 (Rupees Forty Three Lacs Ten Thousand Only)**

Batch ID : DIS:4166:4166:2102:0436

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

  
 वित्त निबंधक  
 महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग  
 उत्तराखण्ड देहरादून